न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 90/2019

1 मानाराम मृतक।
1/1 सागर दत्तक पुत्र मानाराम।
2 सुण्डाराम पुत्र डालूराम।
3 गणेशराम पुत्र डालूराम।
4 सादाराम पुत्र डालूराम।
5 घीसाराम पुत्र डालूराम समस्त जाति जाट निवासीगण सुखपुरा तन रूपगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामचन्द्र पुत्र श्योबक्सा।
2 रूकमा देवी बेवा नाथूराम।
3 बनवारी पुत्र नाथूराम।
4 रमेश पुत्र नाथूराम।
5 सुभाष पुत्र नाथूराम।
6 मन्जू पुत्री नाथूराम समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल आबाद लाड़पुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
7 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ़।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ दिनांक 17.09.2002 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री निरजन शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हेतराम मील, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 01.11.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 13/1989 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2002 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट ने आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता वाके तन रूपपुरा तहसील दांतारामगढ़ के बाबत एक दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाह दवामी व इन्द्राज दुरूस्ती का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिसका वादीगण अपीलांट ने अपनी साक्ष्य से साबित किया था लेकिन विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादीगण अपीलांट का वाद खारिज करने का गलत निर्णय दिया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 88 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता वाके तन रूपपुरा तहसील दांतारामगढ़ को अपीलांट पीढ़ीयों से काश्त करते चले आ रहे है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से वादीगण का कब्जा काश्त है तथा वादी अपीलांट बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकार प्राप्त

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

कर चुके है। अपीलांट ने अपना वाद दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है संवत 2009 से आज तक अपीलांट के नाम से कब्जे काश्त का रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादीगण अपीलांट का वाद खारिज कर कानूनी गलती की है। वादीगण अपीलांट का वाद रिकार्ड पर साबित है तथा रेस्पोडेंट द्वारा किसी भी साक्ष्य से वादीगण अपीलांट के वाद का प्रतिकार नही किया गया है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तथा न ही अपीलांट वादीगण के वाद का किसी साक्ष्य द्वारा प्रतिकार किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय के समक्ष एवं अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। जिससे वादी अपीलांट के वाद की पुष्टि होती हो। अपीलांट ने विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के उपरान्त से प्रस्तुत जमाबंदी व गिरदावरी में स्वंय अथवा उनके पूर्वज का नाम दर्ज होना साबित नही करवाया है। विवादित भूमि पर किसी भी साक्ष्य से अपीलांट का कब्जा काश्त साबित नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2019 पेज 10, आर.बी.जे. 2019 पेज 180, आर.बी.जे. 2018 पेज 153, आर.बी.जे. 2020 पेज 541, आर.बी.जे. 2020 पेज 57 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि नकल जमाबंदी संवत 2014–44 के अनुसार खसरा नम्बर 88 की खातेदारी काना व श्योबक्स पिता हुक्मा के नाम दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2009 के अनुसार खसरा नम्बर 88 की खातेदारी हुक्मा पुत्र हरजी के नाम है तथा उप काश्तकार के रूप में काना पुत्र हुक्मा हिस्सा 1/2 व डालू

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

व नानूडा पुत्र कुशला हिस्सा 1/2 दर्ज है। गिरदावरी संवत 2012 के अनुसार नानूडा की काश्त 4 बीघा तथा डालू पुत्र किशना की काश्त 17 बीघा 8 बिस्वा दर्ज है। गिरदावरी संवत 2013 के अनुसार नानू पुत्र कुशला 3 बीघा तथा डालु पुत्र कुशला 18 बीघा 8 बिस्वा की काश्त दर्ज है। संवत 2014 व 2015 में खुद काश्त डालू पुत्र हुक्मा की काश्त दर्ज है संवत 2016 से 2017 में डालू पुत्र कुशला की काश्त दर्ज है। जमाबंदी संवत 2024 से 2044 के अनुसार विवादस्पद भूमि खसरा नम्बर 88 की खातेदारी काना व श्योबक्सा पिता हुक्मा के नाम दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 88 की खातेदारी 2009 से लगातार 2044 तक हुक्मा व उसके पुत्रों का नाम श्योबक्स के नाम चली आ रही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी संवत 2018 तक की है उसके आगे किसका कब्जा काश्त रहा इसके सम्बंध में वादीगण द्वारा कोई रिकार्डेड साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत रसीदात लगान से यह नहीं माना जा सकता कि वह सब वादास्पद भूमि की ही है। इसके अतिरिक्त रसीदो को कब्जे का आधार भी नहीं माना जा सकता। कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्रदत नही किये जा सकते है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर